

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 163/सोकर 1989-2000

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अधिकुल विद्यापीठ शिक्षा समिति किसान कॉलोनी जिला सोकर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 22/05/89 माह मार्च सन् 1989 को सोकर में दिया गया।

(श्री. एच. सेल्वा)
रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
सोकर

राजस्थानीय मुद्रालय, जयपुर।

ASWOK

सचिव

श्री अधिकुल विद्यापीठ शिक्षा समिति

Principal

Tagore International Sr. Sec. School
Kisan Colony, SIKAR
Aff. No. -1731167